

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुंझुनु

मु०न०	किस्म मु०	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
25/19	धारा 91	26.6.19	12.7.19

उनवान सरकार वनाग माला पुत्र मंगला जाति गुर्जर नि० झुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मागला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत् 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम झुमोली खुर्द की राजकीय भूमि गै०मु० रास्ता ख०न० 2145/1379 रकबा 2.08 है० किस्म गै०मु० रास्ता मे से 780 फुट भूमि पर माला पुत्र मंगला जाति गुर्जर नि० झुमोली खुर्द तहसील बुहाना ने अवैध रूप से दुकान व इट डाल कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से गनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वरस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये दुकान के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50 /- रु वतौर शारित कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। गौके पर पडी इटे वहक सरकार कब्जा किया जाकर निलाग करे पत्रावली वाद तकमील तागिल दारिखल दफतर हो तथा नगवर से कम होकर दर्ज फैसेला हो।

आज दिनांक 12.7.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार

बुहाना झुंझुनु

8
50

...